न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 52/2013
3. उनवान : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

: एम0जे0 जोशी पुत्र एम0जे0 जैकब सा0 जयपुर।

–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 31.07.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 व धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी तहसीलदार जयपुर हाल तहसील कालवाड द्वारा न्यायालय के समक्ष ग्राम कालवाड के खसरा नंबर 952/3 रकबा 10 बीघा की भूमि जो डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के बिन्दु संख्या 4 में वर्णित झील, तालाब, जलाशय, नदी व नाले की भूमि है, जो याचिका के बिन्दु संख्या 1 व 4 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 व 88 के अन्तर्गत रेफरेंस प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कालवाड के खसरा नंबर 952/3 रकबा 10 बीघा की भूमि मिसल बंदोबस्त 2015–2034 के अनुसार राजकीय खाते में गै.मु. नदी दर्ज थी। जिसे कालांतर में नामान्तकरण संख्या 1548 दिनांक 11.10.2001 से निजी वन विकास 25 वर्ष आंवटन होकर एम0जे0 जोशी पुत्र एम0जे0 जैकब के नाम दर्ज हुई। उक्त भूमि नदी, नाले, तालाब, जलाशय आदि की भूमियों जो परम्परागत पानी बहाव क्षेत्र में होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित है एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत होने पर खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं है।

अन्त में प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को स्वीकार फरमाकर वर्णित भूमि को राजकीय घोषित करते हुए किस्म भूमि पूर्वानुसार किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र के संलग्न खतौनी जमाबंदी संवत 2015 से 2034 तथा नामान्तकरण संख्या 1548 एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति पेश की है।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को अनेक बार नोटिस जारी किये गये। परन्तु रेस्पो0 का कोई निश्चत पता नही मिला प्रार्थना पत्र देहिन्दा तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी के नोटिस तामील के प्रयास करने चाहिए थे। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि अप्रार्थी का कोई पता नही है। पत्रावली लम्बे समय से लम्बित है। तहसीलदार द्वारा भी अप्रार्थी का कोई निशचित पता नही बताया है ऐसे में पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। पैरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गई।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया कि ग्राम कालवाड के खसरा नंबर 952/3 रकबा 10 बीघा की भूमि जो डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के बिन्दु संख्या 4 में

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

वर्णित झील, तालाब, जलाशय, नदी व नाले की भूमि है, जो याचिका के बिन्दु संख्या 1 व 4 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 व 88 के अन्तर्गत रेफरेंस प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कालवाड के खसरा नंबर 952/3 रकबा 10 बीघा की भूमि मिसल बंदोबस्त 2015–2034 के अनुसार राजकीय खाते में गै.मु. नदी दर्ज थी। जिसे कालांतर में नामान्तकरण संख्या 1548 दिनांक 11.10.2001 से निजी वन विकास 25 वर्ष आंवटन होकर एम0जे0 जोशी पुत्र एम0जे0 जैकब के नाम दर्ज हुई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित है एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत होने पर खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं है। अतः रेफरेन्स प्रा0 पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि को राजकीय घोषित करते हुए किस्म भूमि पूर्वानुसार किया जावे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पैरोकार सरकार की एक तरफ बहस सुनी। हस्तगत प्रार्थना पत्र ग्राम कालवाड के खसरा नंबर 952/3 रकबा 10 बीघा भूमि का अप्रार्थी को नामान्तकरण संख्या 1548 दिनांक 11.10.2001 द्वारा निजी वन विकास हेतु 25 वर्षीय लीज पर आवंटन किया गया। जमाबंदी संवत 2015–2034 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि गै.मु. नदी दर्ज थी। उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 16/03/1989 को किया गया था। भूमि पूर्व में राजकीय खाते में दर्जशुदा थी, जिसका निजी वन विकास हेतु अप्रार्थी को 25 वर्ष की अवधि हेतु आवंटन किया गया था। लीज की अवधि स्वतः ही समाप्त हो चुकी है। मा0 उच्च न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 02/08/2004 की पालना में तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार उक्त भूमि किस्म गै0मु0 नदी सिवायचक होने के कारण आवंटन नियमन हेतु प्रतिबंधित है। लिहाजा प्रश्नागत नमान्तकरण संख्या 1548 दिनांक 11/10/2001 निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि को पूर्वानुसार गैर मुमकिन नदी सिवायचक राजकीय खाते में दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः तहसीलदार जयपुर हाल तहसीलदार कालवाड का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 1548 दिनांक 11/10/2001 को खारिज किया जाता है तथा ग्राम कालवाड के खसरा नंबर 952/3 रकबा 10 बीघा भूमि की किस्म पूर्वानुसार गै0 मु0 नदी सिवायचक की जाकर राजकीय खाते में दर्ज किये जाने हेतु पत्रावली को मय निर्णय की तीन प्रमाणित प्रतियों के साथ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को रेफरेन्स स्वीकृती हेतु भिजवाया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 31.7.25 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर